

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 5 जनवरी 2012—पौष 15, शक 1933

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2012

अधि. क्र. 1-एफ-1-56-2011-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23, सन् 1956) की धारा 58 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 433 और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961(क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 95 के साथ पठित धारा 355 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगरीय निकाय अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

(1) उक्त नियमों में, अनुसूची-दो के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“अनुसूची-दो

[नियम 2(घ)]

अध्यापक संवर्ग के लिए शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संबंधी अर्हताएं

अनु- क्रमांक (1)	अध्यापक संवर्ग का वर्गीकरण (2)	शैक्षणिक एवं शिक्षण प्रशिक्षण संबंधी अर्हता (3)	अभ्यक्तियां (4)
1.	वरिष्ठ अध्यापक	संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बी.एड. या उसके समकक्ष.	संस्कृत पाठशाला के वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) के लिए न्यूनतम अर्हता संस्कृत साहित्य/व्याकरण आदि में मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में आचार्य उपाधि होगी.

(1)	(2)	(3)	(4)
2. अध्यापक	<p>“संबद्ध विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्ष;</p>	<p>या संबद्ध विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा बी. एड.</p>	<p>संस्कृत पाठशाला के अध्यापक (संस्कृत) के लिए न्यूनतम अर्हता संस्कृत साहित्य/ व्याकरण आदि में मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में शास्त्री उपाधि होगी.</p>
		<p>या संबद्ध विषय में कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानक तथा प्रक्रिया) विनियम, 2002 के अनुसार बी.एड.</p>	
		<p>या कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी प्रमाण-पत्र परीक्षा तथा प्रारंभिक शिक्षा बी.एल.एड. में स्नातक</p>	
		<p>या कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी प्रमाण-पत्र परीक्षा तथा संबद्ध विषय में शिक्षा में स्नातक (बी.ए./ बी.एस.सी.एड.) के साथ संबद्ध विषय में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि</p>	
		<p>या कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ संबद्ध विषय में स्नातक उपाधि तथा बी.एड. (विशेष शिक्षा).”</p>	
3. सहायक अध्यापक	<p>“कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी प्रमाण-पत्र परीक्षा (या उसके समकक्ष) तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा</p>	<p>या “कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी प्रमाण-पत्र परीक्षा (या उसके समकक्ष) तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा</p>	<p>(1) संस्कृत पाठशाला के सहायक अध्यापक (संस्कृत) के लिए संस्कृत साहित्य/व्याकरण आदि में मान्यता प्राप्त संस्था/ बोर्ड से संस्कृत में उत्तर मध्यमा न्यूनतम अर्हता होगी.</p>
		<p>या “कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी प्रमाण-पत्र परीक्षा (या उसके समकक्ष) तथा प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि (बी.ई.एल.एड.)</p>	<p>(2) सहायक अध्यापक (संगीत/तबला शिक्षक) के लिए मान्यता प्राप्त संस्था से संगीत प्रमाण-पत्र न्यूनतम अर्हता होगी.</p>
			<p>(3) सहायक अध्यापक (व्यायाम शिक्षक) के लिए उच्चतर माध्यमिक प्रमाण-पत्र परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्था से शारीरिक शिक्षा का प्रमाण-पत्र न्यूनतम अर्हता होगी.</p>
			<p>(4) संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 (प्रयोगशाला) के लिए न्यूनतम अर्हता विज्ञान विषय के साथ हायर सेकेण्डरी प्रमाण-पत्र परीक्षा या उसके समकक्ष होगी तथा शिक्षण प्रशिक्षण अर्हता आवश्यक नहीं है.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
		या “कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी प्रमाण-पत्र परीक्षा (या उसके समकक्ष) तथा शिक्षा (विशेष शिक्षा) में 2 वर्षीय डिप्लोमा.”	

**टिप्पण.**—1. अध्यापक संवर्ग के पद मध्यप्रदेश नगरपालिका शिक्षाकर्मि (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 1998 के अधीन नियुक्त किये गये शिक्षाकर्मियों के संविलयन से भरे जाएंगे.

2. मध्यप्रदेश नगरीय निकाय संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 के अधीन नियुक्त किए गए संविदा शाला शिक्षकों के तीन वर्ष की संविदा कालावधि पूर्ण होने के पश्चात् अध्यापक संवर्ग में नियुक्त किया जाएगा.

3. अध्यापक संवर्ग में कोई सीधी भर्ती नहीं की जाएगी.

4. (1) संबद्ध विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा बी.एड. अथवा संबद्ध विषय में कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा इस संबंध में समय-समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानक तथा प्रक्रिया) विनियमों के अनुसार शिक्षा में स्नातक (बी.एड.), दिनांक 01 जनवरी 2012 तक सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति का भी पात्र होगा. बर्तते कि उसने नियुक्ति के पश्चात् राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से प्रारंभिक शिक्षा में 6 मास का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो.”

(2) डी. एड. (विशेष शिक्षा) अथवा बी. एड. (विशेष शिक्षा) अर्हता रखने वाले व्यक्ति को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्रदत्त 6 मास का विशेष कार्यक्रम पूरा करना होगा.

(3) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदि जैसी आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों को अर्हक अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी.”

(2) यह संशोधन राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन होने की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2012

क्र. 1-एफ- 1-56-2011-अठारह-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1-एफ-1-56-2011-अठारह-3, दिनांक 5 जनवरी 2012 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

Bhopal, the 5th January 2012

Noti. No. 1-F-1-56-2011-XVIII.3—In exercise of the powers conferred by Section 433 read with sub-section (2) of Section 58 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 355 read with Section 95 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Nagreeya Nikay Adhyapak Samvarg (Employment and Conditions of Services) Rules, 2008, namely:—

## AMENDMENTS

(1) In the said rules, for Schedule II, the following Schedule shall be substituted, namely:—

“ SCHEDULE-II  
[Rule 2(d)]

**Educational and training qualification for Adhyapak Samvarg**

S. No.	Classification of Adhyapak Samvarg	Educational & Teaching Training Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Varishth Adhyapak.	Masters Degree in the relevant subject with Bachelor of Education (B.Ed) or its equivalent;	The minimum qualification for Varishth Adhyapak (Sanskrit) of Sanskrit School shall be Acharya degree in II division in Sanskrit Literature/Grammar etc. from recognized Institution/University.
2.	Adhyapak	<p>“Bachelor Degree in the relevant subject and 2 years Diploma in Elementary Education or its equivalent</p> <p>OR</p> <p>Bachelor Degree in the relevant subject with at least 50% marks and Bachelor in Education (B. Ed.)</p> <p>OR</p> <p>Bachelor Degree in the relevant subject with at least 45% marks and Bachelor in Education (B. Ed.) in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2002</p> <p>OR</p> <p>Higher Secondary Certificate Examination with at least 50% marks and Bachelor in Elementary Education (B.El.Ed.).</p> <p>OR</p> <p>Higher Secondary Certification Examination with at least 50% marks and 4 years Bachelor Degree in the relevant subject with Bachelor in Education (B.A./B.Sc.Ed.)</p>	The minimum qualification for Adhyapak (Sanskrit) of Sanskrit School shall be Shastri degree in II division in Sanskrit Literature/Grammer etc. from recognized Institution/University.

(1)	(2)	(3)	(4)
		OR	
		Bachelor Degree in the relevant subject with at least 50% marks and Bachelor in Education (Special Education).”;	
3.	Sahayak Adhyapak.	<p>”Higher Secondary Certificate Examination with at least 50% marks (or its equivalent) and 2 years Diploma in Elementary Education</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Higher Secondary Certificate Examination with at least 45% marks (or its equivalent) and 2 years Diploma in Elementary Education in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2002</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Higher Secondary Certificate Examination with at least 50% marks (or its equivalent) and 4 years Bachelor in Elementary Education (B.El.Ed.)</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Higher Secondary Certificate Examination with at least 50% marks (or its equivalent) and 2 years Diploma in Education (Special Education).”.</p>	<p>1. The minimum qualification for Sahayak Adhyapak (Sanskrit) of Sanskrit School Shall be Utter Madhyama in Sanskrit Literature/Grammer etc. from recognized Institution/Board.</p> <p>2. The minimum qualification for; Sahayak Adhyapak (Music/Tabla teacher) shall be certificate in Music from recognized Institution.</p> <p>3. The minimum qualification; for Sahayak Adhyapak (Physical Instructor) shall be certificate of Physical Education from any recognized Institution in addition to Higher Secondary Certificate Examination.</p> <p>4. The minimum qualification for Sahayak Adhyapak (Laboratory) shall be Higher Secondary Certificate Examination with Science subjects or equivalent and the Teaching Training Qualification is not necessary.”;</p>

**Note.**—1. The post of Adhyapak Samvarg shall be filled up by merger of the Shikshakarmies appointed under the Madhya Pradesh Municipality Shikshakarmi (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1998.

2. The Samvida Shala Shikshak appointed under the Madhya Pradesh Nagreeya Nikay Samvida Shala Shikshak (Employment and Condition of Contract) Rule, 2005 shall be appointed in the Adhyapak Samvarg after completing the three years Samvida period.

3. No direct recruitment shall be made in the Adhyapak Samvarg.

4. (1) Bachelor Degree in the relevant subject with at least 50% marks and Bachelor in Education (B.Ed.) or Bachelor Degree in the relevant subject with at least 45% marks and Bachelor in Education (B.Ed.) in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations issued from time to time in this regard, shall also be eligible for appointment as Sahayak Adhyapak upto 1st January, 2012, provided he undergoes, after appointment NCTE recognized 6 month special programme in Elementary Education.

(2) With D.Ed. (Special Education) or B.Ed. (Special Education) Qualification shall undergo, after appointment an NCTE recognized 6 month Special programme in Elementary Education.”.

(3) Relaxation upto 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to reserved categories, such as SC/ST, etc.

(2) This amendment shall come in to force from the date of publication of this notification in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

K. K. KATIA Dy. Secy.